न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

प्रथम लिंक पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

223RTA2024-091(GCMS2024-195)

भाखरराम पुत्र बिरबलराम विश्नोई
निवासी श्रीरामनगर, तहसील बाप
जिला फ्लोदी (राज.)

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. ओमप्रकाश पुत्र मनोहरराम
2. मनोहर पुत्र बोगाराम गोदपुत्र रुगनाथराम
3. महिपालसिंह पुत्र मनोहरलाल
4. चेनाराम दत्तक पुत्र रामचन्द्रराम
5. पारु पत्नी रामचन्द्रराम
6. सोनाराम पुत्र बिरबलराम
   सभी जाति विश्नोई, निवीगण श्रीरामनगर
   तहसील बाप, जिला फलोदी (राज.)
7. सरपंच ग्राम पंचायत बाप,
   तहसील बाप, जिला फलोदी
8. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप,
   जिला फलोदी

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला फलोदी दिनांक 31 मई 2024 राजस्व वाद संख्या 28/2023 ओमप्रकाश व अन्य बनाम चैनाराम आदि

--- 0 ---

उपस्थित -

- श्री रोशनलाल अधिवक्ता-अपीलाण्ट
- श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3 व 5
- श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 05 जुलाई 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2023 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम चैनाराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 जून 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 से 3 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 646 रकबा 8.1342 हैक्टेयर वाके मौजा श्रीरामनगर बाबत बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन हेतु पेश किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2024 को स्वीकार कर लिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जबाब पेश कर वादीगण-रेस्पो. के वाद का विरोध किया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार दावे एवं जबाब के आधार पर मामले में तनकियात कायम कर साक्ष्य सुनवाई की कार्यवाही नहीं की गयी और अपीलाण्ट की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति जारी नहीं की गयी। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा अपने वाद को विधिवत समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर साबित ही नहीं किया गया, इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट-प्रतिवादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण-रेस्पो. का दावा स्वीकार कर लिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत बंटवारा किये जाने बाबत अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करते हुए उभयपक्ष के अविधवक्तागण की सहमति से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये है जिससे किसी भी सहखातेदार के हित प्रतिकूलरुपेण प्रभावित नहीं होते है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। मूल वाद में अपीलाण्ट भाखरराम बतौर प्रतिवादी संख्या 3 पक्षकार संयोजित किया गया है और विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पृष्ठ संख्या 25 से 29 उपलब्ध है। वादीगण-रेस्पो. द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के अंकित हिस्सो से भिन्न हिस्से दर्शाते हुए अपीलाण्ट की ओर से जबाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे, जबाबदावे एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर किसी प्रकार की कोई तनकी कायम नहीं की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बिना ही प्रतिवादीगण की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में न तो प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का उल्लेख किया गया और न ही इस संबंध में कोई निष्कर्ष पारित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप एवं विधिसम्मतः नहीं पाये जाने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2024 खारिज किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के दावे, जबाबदावे एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार आवश्यक तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर तनकीवार समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित निष्कर्ष अंकित करते हुए मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05 जुलाई 2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

05.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर